

बिहार सरकार,  
खान एवं भूतत्व विभाग।

पत्रांक-1/एम.एम.(बा0)-22/18 -...../एम0, पटना, दिनांक-  
प्रेषक,

फैक्स/  
ई० मेल

सुशील कुमार,  
सरकार के अवर सचिव।

सेवा में,

सुरेश प्रसाद गुप्ता,  
S/o- श्री रूपचंद साव,  
पटना, शेखपुरा, बिहार-811107

विषय:- जमुई जिलान्तर्गत मौजा-मझवे में ई-बिडिंग द्वारा बंदोबस्त बालूघाट के खनन योजना के अनुमोदन के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक मामले में निदेशानुसार कहना है कि बिहार लघु खनिज समनुदान नियमावली (यथा संशोधित) 2014 में वर्णित प्रावधानों के तहत जमुई जिलान्तर्गत मौजा-मझवे में ई-बिडिंग द्वारा बंदोबस्त बालूघाट (कुल क्षेत्रफल लगभग 4.69 हे०) के खनन योजना का अनुमोदन विभागीय प्राधिकृत समिति द्वारा बिहार लघु खनिज समनुदान (संशोधन) नियमावली, 2014 के नियम 22(2) एवं (3) के साथ सह पठित अनुसूची (IV) के कंडिका-4 के अन्तर्गत दी गई है। बालू बंदोबस्तधारी द्वारा निम्न शर्तों का अनुपालन बाध्यकारी होगा-

1. उक्त खनन योजना केन्द्र सरकार/राज्य सरकार द्वारा विनियमित अन्य सभी अधिनियम/नियमावली में वर्णित प्रावधानों को तथा किसी न्यायालय/अन्य न्यायिक संस्था द्वारा पारित किये गये न्यायादेश को बिना प्रभावित किये अनुमोदित किया जा सकता है।
2. उक्त खनन योजना का अनुमोदन खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 (यथा संशोधित), बिहार लघु खनिज समनुदान नियमावली, 1972 (यथा संशोधित), बिहार खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण निवारण) नियमावली, 2003 (यथा संशोधित), वन संरक्षण अधिनियम, 1980, पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम, 1986, श्रम संबंधी नियम तथा अन्य सभी सुसंगत अधिनियम/नियमावली तथा उनमें वर्णित प्रावधानों को प्रभावित नहीं करेगा।
3. बंदोबस्तधारी द्वारा खनन योजना में निहित शर्तों का पालन करते हुए ही बालू खनिज का खनन तथा प्रेषण किया जायेगा।
4. बंदोबस्तधारी द्वारा उन्हें निर्गत स्वीकृति आदेश में निहित शर्त तथा अन्य शर्तों/निदेशों का पालन करना होगा।
5. बंदोबस्तधारी द्वारा संबंधित सक्षम प्राधिकार से यथा वांछित प्रमाण-पत्र प्राप्त कर विभाग को अवगत कराया जाएगा।

